

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक : प.09(04)राज/ वाद/ 88

जयपुर, दिनांक : 3-1-2014

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्भूत राजस्थान राज्य के सभी प्रकरणों की पैरवी करने एवं प्रस्तुत करने के लिए सुश्री रूचि कोहली, अभिभाषक को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली के पद पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से अस्थाई तौर पर नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को 17500/- (अक्षरे सत्रह हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह रिटेनरशिप देय होगी।
2. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार वादकरण के मामलों हेतु उनके द्वारा उपगत सभी अनुशंगिक व्यय का नियमानुसार पुनर्भरण प्राप्त करने की अधिकारी होंगी।
3. उन्हें मासिक प्रतिधारण (रिटेनरशिप) के अलावा राजकीय वादकरण के प्रकरणों में पैरवी करने/ प्रस्तुतीकरण एवं बहस आदि की फीस तथा प्रारूपण फीस उच्चतम न्यायालय नियम, 1966, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार देय होगी।
4. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समय-समय पर राज्य सरकार के विरुद्ध लगने वाले मामलों की तथा जारी होने वाले आदेशों की सूचना तत्काल राज्य सरकार को देंगी।
5. वे समय-समय पर उन्हें दी गई अग्रिम धनराशि का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होंगी।
6. वे निम्नलिखित कार्यों/ बातों के लिए विवर्जित (Debar) होंगी:-
(क) राजस्थान राज्य के विरुद्ध सलाह देने अथवा मुकदमा लेने से,
(ख) राजस्थान राज्य के फौजदारी मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा करने में, एवं
(ग) निजी पक्षकारों को / पार्टियों को उन मामलों में, जिनमें उनके राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित होने की सम्भावना हो, सलाह देने से।
7. वे ऐसे आदेशों से भी बाध्य होंगी, जो समय-समय पर उनकी नियुक्ति के संबंध में जारी किये जावें।

आज्ञा से

ह./-

(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक पठ 09(04)राज/वाद/88

जयपुर, दिनांक: 3/1/2014

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्भूत राजस्थान राज्य के सभी प्रकरणों की पैरवी करने एवं प्रस्तुत करने के लिए सुश्री रुचि कोहली, अभिभाषक को एडवोकेट ऑन रिकार्ड, नई दिल्ली के पद पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से अस्थाई तौर पर नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होंगी:-

1. एडवोकेट ऑन रिकार्ड को 17500/- (अक्षरे सत्रह हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह रिटेनरशिप देय होगी।
2. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार वादकरण के मामलों हेतु उनके द्वारा उपगत सभी अनुशंगिक व्यय का नियमानुसार पुनर्भरण प्राप्त करने की अधिकारी होंगी।
3. उन्हें मासिक प्रतिधारण (रिटेनरशिप)के अलावा राजकीय वादकरण के प्रकरणों में पैरवी करने / प्रस्तुतीकरण एवं बहस आदि की फीस तथा प्रारूपण फीस उच्चतम न्यायालय नियम, 1966, समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार देय होगी।
4. वे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समय-समय पर राज्य सरकार के विरुद्ध लगने वाले मामलों की तथा जारी होने वाले आदेशों की सूचना तत्काल राज्य सरकार को देंगी।
5. वे समय-समय पर उन्हें दी गई अग्रिम धनराशि का हिसाब देने के लिए उत्तरदायी होंगी।
6. वे निम्नलिखित कार्यों/बातों के लिये विवर्जित (Debar) होंगी:-
 - (क) राजस्थान राज्य के विरुद्ध सलाह देने अथवा मुकदमा लेने से,
 - (ख) राजस्थान राज्य के फौजदारी मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों की प्रतिरक्षा करने में, एवं
 - (ग) निजी पक्षकारों को / पार्टियों को उन मामलों में, जिनमें उनके राजस्थान राज्य की और से उपस्थिति होने की सम्भावना हो, सलाह देने से।
7. वे ऐसे आदेशों से भी बाध्य होंगी, जो समय-समय पर उनकी नियुक्ति के संबंध में जारी किये जावें।

आज्ञा से,

हठ

(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शारान सचिव, विधि



File
1/1/14